



भारतीय स्टेट बैंक

केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉर्पोरेट केंद्र, मुंबई.

(फोन: 022-2282 0427; फैक्स: 022-2282 0411; ई-मेल: crpd@sbi.co.in)

विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों की भर्ती

विज्ञापन संख्या: सीआरपीडी/एससीओ-सीए/2017-18/08

- आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण और ऑनलाइन शुल्क के भुगतान की तारीख: 05.01.2018 से 28.01.2018 तक
- ऑनलाइन परीक्षा की तारीख (संभावित): 25.02.2018
- ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने की संभावित तिथि: 12.02.2018 से

विशेषज्ञ संवर्ग के अधिकारियों के निम्नलिखित पद पर नियुक्ति करने हेतु भारतीय नागरिकों से ऑन-लाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे “careers” लिंक के माध्यम से बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> से ऑन-लाइन आवेदन करें।

कृपया ध्यान दें कि

- आवेदन के पंजीकरण की प्रक्रिया तभी पूर्ण होगी जब शुल्क का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से बैंक में जमा करा दिया गया हो।
- आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे पात्रता की तिथि को पद हेतु पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश दस्तावेजों के सत्यापन के बिना पूर्ण रूप से अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/समूह चर्चा हेतु रिपोर्ट करने पर उनकी उम्मीदवारिता विवरणों/दस्तावेजों के सत्यापन के अध्यधीन रहेगी।
- यदि उम्मीदवार को साक्षात्कार/समूह चर्चा के लिए बुलाया जाता है और वह पात्रता मानदंड (आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि) को पूरा नहीं करता है, तो उसे न तो साक्षात्कार/समूह चर्चा के लिए उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी, न ही वह यात्रा व्यय आदि की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा/होगी।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण और अद्यतन जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट <https://bank.sbi/careers> या <https://www.sbi.co.in/careers> देखें। कोई भी सूचना/कॉल लेटर हार्ड प्रति में भेजा नहीं जायेगा।

नीचे दिए अनुसार पद से संबंधित रिक्त-पद तथा अन्य विवरण

क्रम संख्या	पद	स्केल	रिक्त-पद								30.06.2017 को आयु (वर्ष)	01.12.2017 को शैक्षणिक योग्यता	01.12.2017 को योग्यता पश्चात अनुभव	
			सामान्य	अजा	अज्जा	अपिव	कुल	ओर्च	बीआई	एचआई				
1	उप प्रबंधक (आंतरिक लेखा-परीक्षा)	एमएस जीएस-	26	7	4	13	50	1	-	1	21	35	आवश्यक: इंस्ट्रिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए). वरीयता: सीआईएसए	ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में जो बैंकों की सांविधिक/आंतरिक/संगामी लेखा-परीक्षा करती हो या बैंक में उक्त कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव। सीए फर्मों में कार्यरत के लिए फर्मों द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र। अन्य के लिए बैंकों के नियुक्ति पत्र की प्रति आवश्यक होगी। आवश्यक विशिष्ट कौशल: एमएस ऑफिस का कार्यानुभव

- कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात वर्ग श्रेणी में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जॉब प्रोफाइल:

- बैंक के आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग के निवेशानुसार भारत या विदेश में स्थित बैंक की शाखाओं/कार्यालयों तथा/अथवा इसकी आनुषंगियों/सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों की लेखा-परीक्षा करना।
- लेखा-परीक्षा के निष्कर्षों को समाविष्ट करते हुए लेखा-परीक्षित कार्यकलापों की रिपोर्ट तैयार करना।
- प्रबंधन तथा/अथवा बोर्ड स्तरीय समितियों को सूचित करने के लिए ज्ञापन/रिपोर्ट तैयार करना।
- अन्य दूसरे कार्य जो बैंक द्वारा सौंपे जा सकते हैं।

संक्षिप्ताक्षर

श्रेणी: अजा-अनुसूचित जाति, अज्जा-अनुसूचित जनजाति, अपिव-अन्य पिछड़ा वर्ग, पीडब्ल्यूडी-अपंग व्यक्ति, ओएच-अस्थि बाधित, वीआई-दृष्टि बाधित, एचआई-श्रवण बाधित

परिलक्षित व्यायाँ:

पद	श्रेणी	वेतनमान
उप प्रबंधक (आंतरिक लेखा परीक्षा)	मध्यम प्रबंधन श्रेणी स्केल- (एमएसजीएस)	31705-1145/1-32850-1310/10-45950

उप प्रबंधक (आंतरिक लेखा परीक्षा): श्रेणियों का वेतनमान ऊपर दिया गया है। अधिकारी डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ, अंशदायी पेन्शन फंड, एलएफसी, मेडीकल सुविधा आदि के लिए समय-समय पर बदलते नियमों के अनुसार पात्र होंगे।

मोबाइल ड्यूटी पर रखे गए लेखा परीक्षक (ऑफिसर) अपनी पसंद की जगह पर अपने परिवार को रख सकते हैं।

मोबाइल ड्यूटी पर होने पर लेखा-परीक्षक (ऑफिसर) अपनी पात्रता के अनुसार यात्रा तथा लॉर्जिंग व्ययों की क्षतिपूर्ति के पात्र होंगे, साथ ही उनकी ग्रेड/केंद्र को लागू हालिंग भरते के लिए भी पात्र होंगे।

अन्य शर्तें:

- प्रशिक्षण: चयनित उम्मीदवार अधिकतम 12 माह तक की अवधि के लिए संस्थागत और ऑन-जॉब प्रशिक्षण के अध्यधीन रहेंगे, जिसको पूरा करने के बाद उन्हें शाखा/कार्यालय ऑफिस का स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा।
- लेटरल मूवमेंट: भर्ती किए उम्मीदवारों से आंतरिक लेखा-परीक्षा का कार्य करवाते हुए, प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें अन्य व्यवसाय समूहों का कार्य भी सौंपा जा सकता है।
- पदोन्नति अवसर: उम्मीदवार बैंक में लागू करिअर विकास योजना के आधार पर लेखा-परीक्षा विभाग में बैंक के विशेषज्ञ अधिकारियों की पदोन्नति नीति के अनुसार पदोन्नतियों के लिए पात्र होंगे।
- रोजगार का प्रकार: स्थाई आधार पर नियमित।
- प्रोबेशन: चयनित उम्मीदवार 12 माह की अवधि के लिए प्रोबेशन पर होंगे, उसे सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें कैडर में शामिल किया जाएगा।

टिप्पणी:

- क्रीमी लेयर में आने वाले अपिव श्रेणी के उम्मीदवार अपिव आरक्षण तथा आयु छूट के लिए पात्र नहीं हैं। वे अपनी श्रेणी को सामान्य या सामान्य (ओएच/एचआई), जो भी लागू हो, लिखें।
- अधिकतम आयु सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए दर्शाई गई है। ऊपरी आयु सीमा में छूट नीचे अनुच्छेद 1 के बिन्दु क्र. (ii) में बताए अनुसार मिलेगी।
- आरक्षित रिक्त-पदों को मिलाकर उपरोक्त कुल रिक्त-पदों की संख्या अनन्तिम है तथा बैंक की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।
- अशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण समस्तर है और सम्पूर्ण रिक्त-पदों (की संख्या) के अंदर है।

1. पात्रता मानदण्ड:

- अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता: पद संबंधी संपूर्ण जानकारी प्रत्येक पद के सामने दी गई है।
- इस पद के लिए निर्धारित योग्यता न्यूनतम है। 01.12.2017 को उम्मीदवारों के पास यह योग्यता और संबंधित योग्यता पश्चात अनुभव होना चाहिए।

(ii) ऊपरी आयु सीमा में छूट:

अ. क्र.	श्रेणी	आयु में छूट
1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2	अन्य पिछड़े वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)	3 वर्ष
3	शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)	पीडब्ल्यूडी (अजा/अजजा) 15 वर्ष पीडब्ल्यूडी (अ.पि.व.) 13 वर्ष पीडब्ल्यूडी (सा.) 10 वर्ष
4	आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों (ईसीओ)/ अल्पावधि सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों (एसएससीओ) सहित भूतपूर्व सैनिक व शर्ते आवेदनकर्ता ने सैन्य सेवा में लगातार कम से कम 5 वर्ष सेवा की हो और जो निर्दिष्ट कार्यकाल पूरा होने पर सेवामुक्त किए गए हैं (इनमें वे भी शामिल हैं जिनका कार्यकाल आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष में पूरा होने वाला है) किंतु उनमें वे भूतपूर्व सैनिक शामिल नहीं हैं जिन्हें कदाचार या अकुशलता या शारीरिक अक्षमता के कारण सेवामुक्त किया गया है अथवा जो सैन्य सेवा से संबंधित अपंगता या अशक्तता के कारण से सेवामुक्त कर दिए गए हैं।	5 वर्ष
5.	दिनांक 01.01.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सामान्यतः रहने वाले व्यक्ति	5 वर्ष

टिप्पणी: आयु सीमा संबंधी छूट उपर्युक्त मदों या विभिन्न मदों के अंतर्गत दर्शाई गई अन्य आयु सीमा की छूटों को मिलाकर नहीं दी जाएगी।

2. अशक्त व्यक्तियों (पी डब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण: निम्नानुसार अशक्त (दिव्यांग) व्यक्तियों के लिए 2 पद आरक्षित हैं:

क) अस्थि विकलांग (चलने-फिरने में असमर्थता);

नीचे उल्लिखित असमर्थता वाले व्यक्ति के लिए 1 पद आरक्षित हैं:
ओए - एक भुजा प्रभावित (बायीं या दाहिनी);
ओएल-एक पैर प्रभावित (बायां या दाहिना);
ओएएल -एक भुजा या पैर प्रभावित;
बीएल-दोनों पैर प्रभावित लेकिन भुजा नहीं।

ख) श्रवण बाधित: बधिर एवं बहुत कम सुनाई देना;

इस श्रेणी में एक पद आरक्षित है:

ऐसे 'बधिर' व्यक्ति जिन्हें दोनों कानों में 70DB hearing loss in speech frequencies हो। बहुत कम सुनाई देने वाले व्यक्ति से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिन्हें दोनों कानों में 60DB से 70DB hearing loss in speech frequencies हो।

ओएच/वीआई उम्मीदवारों की संबद्ध अशक्तता 40% से कम नहीं होनी चाहिए और आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाणपत्र आवेदन के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को या उससे पहले जारी किया हुआ होना चाहिए।

लेखक का उपयोग और प्रतिपूरक समय:

- लेखक (Scribe/Reader) की सुविधा ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए अनुमत की जाएगी जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक अशक्त है। अशक्तता वाले केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जिनकी लेखन क्षमता कमजोर होने के साथ-साथ लिखने की गति भी प्रभावित है। ऐसे सभी मामलों में, जहाँ लेखक का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे।
- उम्मीदवार जो परीक्षा में लेखक की सेवाओं के लिए पात्र हैं और लेखक की सेवाएं लेना चाहते हैं, उन्हें ऑन लाइन आवेदन फॉर्म में इसका सावधानीपूर्वक उल्लेख करना चाहिए।
- उम्मीदवार को ऑन लाइन परीक्षा के समय निर्धारित प्रारूप में एक उचित वचनपत्र देना होगा।
- ऐसे उम्मीदवार जो लेखक का उपयोग करने के लिए पात्र हैं, परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे चाहें लेखक की सुविधा प्राप्त की जा रही हो या नहीं।
- लेखक (Scribe) का उपयोग करने की अनुमति भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकार मंत्रालय, निःशक्तता कार्य विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन एफ नं. 16-110/2003-डीडी ।।। दिनांक 26 फरवरी, 2013 के अनुसार लिपिक जारी दिशा-निर्देशों और भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग, के पत्र क्र. एफ नं. 3/2/2013-वैल्फेयर दिनांक 26.04.2013 के द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार दी जाएगी।

उपर्युक्त संदर्भित दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए लेखक का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई है और फिर भी वे लेखक का उपयोग कर रहे हैं, वे भर्ती प्रक्रिया में आगे सहभागिता के लिए अपात्र होंगे। लेखक का उपयोग करने वाले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उपर्युक्त दिशा-निर्देशानुसार वह परीक्षा में लेखक का उपयोग करने के लिए पात्र है। उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करके लेखक का उपयोग करने वाले उम्मीदवार को अपात्र समझ कर बिना सूचना दिए बैंक की सेवा से निकाल दिया जाएगा, भले ही उसने बैंक में कार्यग्रहण कर लिया हो।

3. चयन प्रक्रिया:

- (i) उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। परीक्षा 25.02.2018 को अंतरिम रूप से आयोजित की जाएगी। परीक्षा का कॉल लेटर बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और उम्मीदवारों को एसएमएस व ई-मेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना आवश्यक होगा। परीक्षा, अहमदाबाद, वडोदरा, बैंगलुरु, भोपाल, रायपुर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर, चेन्नई, मदुराई, गुवाहाटी, हैदराबाद/सिंकराबाद, विशाखापत्नम, कोलकाता/ग्रेटर कोलकाता, लखनऊ, वाराणसी, मुंबई/ग्रेटर मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई, नागपुर, पुणे, देहरादून, जयपुर, नई दिल्ली/दिल्ली एनसीआर, पटना, रांची, एर्नाकुलम और त्रिवेंद्रम केंद्रों पर आयोजित की जा सकती है।

उम्मीदवार को उस केन्द्र के नाम का चयन करना चाहिए जहाँ वह परीक्षा देना चाहता/चाहती है। चयनित परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, बैंक किसी भी केंद्र को जोड़ने या हटाने और उम्मीदवार द्वारा चुने गए केंद्र से भिन्न कोई अन्य केंद्र आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

परीक्षा का पैटर्न

सं क्र.	परीक्षाएं	प्रश्नों की संख्या	अंक	समय
i.	तर्कबुद्धि का परीक्षण	50	50*	90 मिनट
ii.	गुणात्मक योग्यता	35	35*	
iii.	अंग्रेजी	35	35*	
iv.	व्यावसायिक ज्ञान	50	100	45 मिनट

*निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करना आवश्यक है और मेरिट सूची तैयार करते समय इनके अंकों पर विचार नहीं किया जाएगा।

परीक्षा ऑनलाइन आयोजित होगी। आवेदनों की संख्या कम होने पर परीक्षा व साक्षात्कार के बजाय शार्ट लिस्टिंग और साक्षात्कार के जरिए उम्मीदवार(रों) का चयन करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।

- क) व्यावसायिक ज्ञान (पीके) को छोड़कर, अन्य प्रश्न-पत्र अर्हक प्रकृति के होंगे। उम्मीदवारों को इन प्रश्न-पत्रों में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना होगा। न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित किए जाएंगे या बैंक के विवेक पर छूट दी जा सकती है। प्रश्न द्विभाषी, अर्थात्, हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे। उम्मीदवारों के पास हिन्दी या अंग्रेजी में प्रश्नों का उत्तर देने का विकल्प होगा (अंग्रेजी भाषा की परीक्षा को छोड़कर)।

ख) साक्षात्कार/समूह चर्चा: बैंक द्वारा यथा निर्धारित उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या को साक्षात्कार/समूह चर्चा के लिए बुलाया जाएगा। समूह चर्चा के 20 अंक और साक्षात्कार के लिए 30 अंक होंगे। यदि समूह चर्चा आयोजित नहीं की जाती है, तो साक्षात्कार के 50 अंक होंगे। साक्षात्कार/समूह चर्चा के पात्रता अंक बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। समूह चर्चा आयोजन नहीं करवाने का विवेकाधिकार बैंक के पास रहेगा।

मेरिट लिस्ट: समूह चर्चा/साक्षात्कार में उम्मीदवारों द्वारा 50 अंकों में से प्राप्त किए गए अंकों को 25 अंकों के हिसाब से रूपांतरित किया जाएगा। अंतिम योग्यता सूची को व्यावसायिक ज्ञान परीक्षा में 100 अंकों में से प्राप्त किए अंकों और समूह चर्चा/साक्षात्कार में 25 में से प्राप्त किए गए रूपांतरित अंकों को मिलाकर किया जाएगा (कुल अंक- 125)। प्रत्येक श्रेणी में मेरिट सूची में शीष स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

टिप्पणी: यदि एक से अधिक उम्मीदवारों को समान निर्दिष्ट अंक प्राप्त होते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को उनकी आयु के अवरोही क्रम से रैंक दिया जायेगा।

4. पदस्थापन का स्थान: बैंक में भर्ती किए उम्मीदवार बैंक के अंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य को करने के लिए लेखा-परीक्षा विभाग में नियुक्त होंगे। लेखा-परीक्षा के लिए भर्ती किए अधिकारी आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग, कॉर्पोरेट सेंटर, हैदराबाद से संलग्न किए जाएंगे और वे मोबाइल ड्यूटी पर होंगे। लेखा-परीक्षा कार

7. ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर:

- (क) उम्मीदवारों को चाहिए कि वे अपने कॉल लेटर तथा स्वयं जाने नामक पुस्तिका अपना पंजीकरण नंबर तथा पासवर्ड/जन्म तिथि दर्ज करके बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड करें। कॉल लेटर/स्वयं जाने नामक पुस्तिका की प्रति डाक से नहीं भेजी जाएगी।
- (ख) साक्षात्कार के लिए सूचना/कॉल लेटर ई-मेल द्वारा भेजे जाएंगे या बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे। कोई हार्ड प्रति नहीं भेजी जायेगी।

8. परीक्षा के समय पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करना:

उम्मीदवार अपने साथ एक फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति और उसकी स्व-अनुप्राप्तिप्रति साथ लेकर आएं जैसे कि पासपोर्ट/आधार/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/वोटर कार्ड/इंस्ट्रिट्रूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट द्वारा जारी पहचान पत्र। परीक्षा हॉल में परीक्षकों को पहचान प्रमाण की एक फोटोप्रति कॉल लेटर के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऐसा न करने पर या फिर यदि उम्मीदवार की पहचान संबंधी संदेह होने पर उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

9. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई:

उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि ऐसा कोई विवरण न दें/संलग्न न करें जो असत्य, जाली/बनावटी हो या आवेदनपत्र भरते समय किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को न छिपाएँ।

यदि लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय कोई उम्मीदवार निम्नलिखित बातों का दोषी पाया जाता है:

(i) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करना या (ii) परीक्षा में छद्म उपस्थिति या छद्म उपस्थिति की व्यवस्था करना या (iii) परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करना या प्रश्नपत्र (अथवा उसका कोई भाग) / उत्तर पुस्तिका को परीक्षा हॉल से बाहर ले जाने या (iv) उम्मीदवार के रूप में अपने चयन हेतु किसी अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लेना या (v) अपनी उम्मीदवारिता के संबंध में किसी भी अनुचित साधन की सहायता लेना, तो ऐसे उम्मीदवार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही तो होगी ही, साथ ही:

- अ) जिस परीक्षा में भाग ले रहे होंगे, उसमें उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा।
ब) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित भर्ती के लिए किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या किसी निश्चित अवधि के लिए वंचित दिया जाएगा।

10. बैंक उम्मीदवार के जवाबों का परीक्षा में शामिल अन्य उम्मीदवारों के जवाबों के साथ समानता ढँढ़ने के लिए विश्लेषण करता है। इस विश्लेषण के आधार पर यदि पाया जाता है कि जवाब एक जैसे है, और प्राप्त अंक यथार्थ/वैध नहीं है, तो बैंक के पास उम्मीदवारिता रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

11. उम्मीदवारों को मोबाइल फोन, पेजर, कैलक्यूलेटर या ऐसे उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

- (i) जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, उस परिसर में मोबाइल फोन, पेजर्स या कोई भी संचार उपकरण लाने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का पालन न करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी और भावी परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति न मिलने के साथ उन पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।
(ii) उम्मीदवारों को उनके हित में यह सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/पेजर्स जैसी निषिद्ध वस्तुएं परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि इन चीजों के सुरक्षित रखरखाव का आश्वासन नहीं दिया जा सकता।
(iii) उम्मीदवारों को परीक्षा परिसर में कैलक्यूलेटर या कम्प्यूनिकेशन के अन्य कोई भी साधन लाने या उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

12. सामान्य जानकारी:

- (i) उम्मीदवारों को आवेदित पद के लिए अपनी प्रत्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए। बैंक आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर अपेक्षित शुल्क के साथ ऑनलाइन परीक्षा में बैठने की अनुमति देगा और प्रत्रता का निर्धारण केवल साक्षात्कार/समूह चर्चा के समय ही किया जाएगा।

- (ii) सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवारत उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारिता पर विचार नहीं किया जाएगा और यात्रा भत्ता, यदि कोई हो, जो अन्यथा स्वीकार्य है, उसका भुगतान नहीं किया जाएगा।
(iii) चयन होने पर नियुक्ति के समय उम्मीदवारों को नियोक्ता से प्राप्त उचित कार्य-मुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
(iv) यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
(v) अपिव श्रेणी में आरक्षण मांगने वाले उम्मीदवार द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी जिसमें लिखा होगा कि वह 01.01.2018 की स्थिति के अनुसार क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर, उम्मीदवार को 01.04.2017 से साक्षात्कार तिथि तक की अवधि के दौरान जारी किया अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, जिसमें नॉन-क्रीमी लेयर वलॉज शामिल हो, प्रस्तुत करना होगा।
(vi) उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें और अंतिम तिथि तक इंतजार न करें जिससे कि इंटरनेट पर भारी बोझ या वेबसाइट जाम होने के कारण वेबसाइट पर लॉग इन करने में डिस्कनेक्शन/असमर्थता/विफलता की संभावना से बचा जा सके।
(vii) भारतीय स्टेट बैंक उपरोक्त कारणों से या अन्य दूसरे कारणों से, जो उसके नियंत्रण से परे हैं, उम्मीदवार द्वारा अंतिम तिथि के अंदर अपने आवेदन प्रस्तुत/सबमिट नहीं कर पाने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।
(viii) एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन नहीं किया जाना चाहिए। कई आवेदन करने की दशा में, मात्र अंतिम मान्य अंतिम मान्य (भरा हुआ) आवेदन ही रखा जाएगा और अन्य पंजीकरणों हेतु भुगतान किया गया आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा में एकाधिक उपस्थिति/परीक्षा और साक्षात्कार में भाग लेने का कार्य यदि उम्मीदवार करता है, तो उसे बिना कोई कारण बताए निकाल दिया जाएगा/उसकी उम्मीदवारिता को रद्द कर दिया जाएगा।
(ix) परीक्षा को करवाए जाने में आने वाली कुछ समस्याओं की संभावना से तो पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, जिनसे परीक्षा लिए जाने तथा/अथवा इनका परिणाम बनाए जाने पर असर हो सकता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी हर समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें आवश्यक होने पर एक और परीक्षा करवाया जाना शामिल हो सकता है।
(x) भर्ती के किसी भी चरण में यह पता चलने पर कि उम्मीदवार प्रत्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती है और/या उसने कोई भी गलत/झूठी जानकारी प्रस्तुत की है या कोई भी तथ्य दबाया/दबाए हैं, तो उसकी उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी। अगर ये कमियां नियुक्ति के बाद भी पता चलती हैं, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
(xi) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि सूचनाएं, अर्थात् कॉल लेटर/साक्षात्कार सूचना आदि प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल आईडी सक्रिय रखें।
(xii) उम्मीदवार की नियुक्ति बैंक की आवश्यकता के अनुसार उन्हें चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ घोषित किए जाने के अध्यधीन रहेगी।
(xiii) प्रत्रता, परीक्षा संचालन, अन्य परीक्षण और चयन से संबंधित सभी मामलों में बैंक का फैसला अंतिम और सभी उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन या प्रत्राचार का बैंक द्वारा जवाब नहीं दिया जाएगा।
(xiv) बैंक को पूरी तरह से किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार है।
(xv) इस विज्ञापन और/या इसके प्रतिसाद में आवेदन से उत्पन्न किसी दावे या विवाद के संबंध में वैधानिक कार्रवाई होने पर वह केवल मुंबई में होगी और किसी भी कारण/विवाद का एकमात्र तथा विशिष्ट न्यायाधिकार क्षेत्र मुंबई स्थित न्यायालय/ट्रिबुनल्स/फोरम्स होंगे।

स्थान : मुम्बई

तारीख : 05/01/2018

महाप्रबंधक